



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 26.11.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 381/25 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया गया है। जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.11.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री सुरेन्द्र धामा पुत्र स्व0 मामचन्द धामा निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.प्रवेश पुत्र सुरेश निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत, 2.



मधुर पुत्र संजीव मूल निवासी ग्राम जोनमाना थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी ग्राम बिनौली जनपद बागपत व 3.हिमांशु पुत्र मनोज निवासी जिवाना गुलियान, थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा एक साथ मिलकर षडयंत्र करके वादी के भतीजे तरंग धामा पुत्र श्री रामपाल धामा उम्र करीब 30 वर्ष पर जान से मारने की नियत से फावडे से सिर पर वार करना जिससे भतीजा गंभीर रूप से घायल हो जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 381/25 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 381/25 धारा 109(1)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त मधुर उर्फ कुक्की पुत्र संजीव मूल निवासी ग्राम जोनमाना थाना बडौत जनपद बागपत की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावडा बरामद किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.मधुर उर्फ कुक्की पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम जोनमाना थाना बडौत जनपद बागपत हालपता कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष ।
- 2.प्रवेश पुत्र सुरेश निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत ।
- 2.उ0नि0 का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली बागपत ।
- 3.का0 07 जीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-26.11.2025

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र महिपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट बागपत ।
- 2-है0का0 748 रामजीलाल दोघट जनपद बागपत ।

